उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-167/2019/2566/92-2-19-18एम/2018

लखनऊ:: दिनांक:: 08 नवम्बर 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद संतरविदास नगर (भदोही) में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत चौरी से महाराजगंज तक के निर्माण कार्य में त्रुटिपूर्ण डी0पी0आर0 गठन/ स्वीकृति की अनियमितता हेतु मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की जांच आख्या दि0 18.04.2019व 20.05.2019 में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1300/92-2-19-18एम/2018 दि0 24-06-2019 द्वारा श्री एन0के0 त्रिपाठी, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-संतरविदास नगर (भदोही) सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता(पू0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (पू0क्षे0) , ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-773/ग्रा0अ0वि0/अनु0जां0/जां-भदोही/एस0टी0-268/19-20 दिनांक 01-10-2019 द्वारा उपलबध करायी गयी जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित मात्र एक आरोप स्थापित न पाये जाने के दृष्टिगत श्री एन0के0 त्रिपाठी, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-संत रविदास नगर (भदोही) सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-06-2019 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-167/2019/2566/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ !

2- श्री एन0के0 त्रिपाठी, तत्का0 अधि0अभि0,ग्रा0अभि0विभाग,प्रखण्ड-संतरवदास नगर (भदोही) सम्प्रति-सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in